



॥ ॐ श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः ॥

डॉ. राममनोहर लोहिया

परामर्शक महाविद्यालय

अवन्तीपुरम, कल्यानपुर मेट्रो स्टेशन पिलर नं. 33, कानपुर नगर

विवरण पत्रिका एवं
नियमावली

फोन : कार्यालय : 7007174633
मो0 : प्राचार्य कक्ष : 8953846751
ई-मेल : E-mail : drrmlpgmahavidyalaya@gmail.com
वेबसाइट : Website : drrmlpgmahavidyalaya.in





उद्बोधन प्राचार्य की ओर से

प्रिय प्रवेशार्थी,

मुझे अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि ज्ञान-पिपासा और उत्तम नागरिक बनने की उत्कृष्ट अभिलाषा से प्रेरित होकर आप इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अग्रसर हुए।

वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी देनी नहीं है, अपितु चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण है। एक जिम्मेदार नागरिक के निर्माण का माध्यम मात्र शिक्षा ही है, किसी देश या समाज की उन्नति उत्कृष्ट चरित्र एवं व्यक्तित्व वाले नागरिकों के बिना सम्भव नहीं है। महाविद्यालय को विद्या मन्दिर समझते हुए आप सोद्देश्य परिश्रम के माध्यम से ही अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इस विद्या मन्दिर की पवित्रता आपके जीवन की पवित्रता से जुड़ी है। महाविद्यालय के गुरुजन आपके पथ-प्रदर्शक हैं तथा आपकी प्रेरणा, परामर्श और प्रोत्साहन देने हेतु सदैव सम्बन्ध है।

इस महाविद्यालय की स्थापना का बीसवां (20) वर्ष है। हम इस महाविद्यालय को विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर रखने की आकांक्षा रखते हैं। हमारा प्रयास होगा कि स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक स्तर पर अन्य विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था इस महाविद्यालय में आगामी सत्र से हो। हम अनवरत प्रयत्नशील रहेंगे। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में तकनीकी शिक्षा, राष्ट्र और समाज की प्रगति का मेरुदण्ड है। अतः इस दिशा में हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमारा यह भी प्रयास होगा कि महाविद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा की भी मान्यता प्राप्त हो ताकि छात्रों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें।

महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए धन की नितान्त आवश्यकता है अतः क्षेत्र के सम्पन्न महानुभावों से अनुरोध है कि सामर्थ्य दान देकर महाविद्यालय को विकास की मंजिल की ओर अग्रसर होने में अपना बहुमूल्य योगदान देने की कृपा करें।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से महाविद्यालय में संगोष्ठी, परिसंवाद समूह चर्चा आदि का आयोजन किया जाता है तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों, शंकाओं तथा कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। विषय परिषदों का सम्यक् गठन भी कर दिया गया है। ताकि शैक्षिक गतिविधियों को और ज्यादा उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया जा सके, इनका उद्देश्य छात्रों को ज्ञानार्जन की प्रेरणा प्रदान करना है ताकि नकल जैसी दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन किया जा सके। मैं सभी छात्रों का आवाहन करता हूँ कि वे कक्षाओं में उपस्थिति की तरफ सजग रहें, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित होना पड़ेगा। छात्र वृत्ति आदि का लाभ प्राप्त करने हेतु भी कक्षाओं में सम्यक् - उपस्थिति अनिवार्य है।

महात्मा गाँधी, विवेकानन्द तथा डॉ० राममनोहर लोहिया के आदर्शों को जीवन में आत्मसात् करने की महती आवश्यकता है। यह महाविद्यालय न केवल शिक्षा की दृष्टि से अपितु क्रीडा, सेवा भावना एवं अन्य उत्तम गुणों की दृष्टि से भी आपके जीवन के सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराता है। आप इन सभी अवसरों का लाभ उठायें और प्रगति की ओर अग्रसर हों। यही हमारी मनोकामना है।

शुभकामनाओं सहित -

प्राचार्य

मनुष्य में जो कुछ महान है वह उसके श्रम का परिणाम है उसकी सभ्यता इसी की देन है।

- स्माइल

यह महाविद्यालय स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम की शिक्षा प्रदान करने वाला सुरम्य स्वच्छ पर्यावरणीय वातावरण में स्थित है। शैक्षिक सत्र 2005-2006 से महाविद्यालय में बी.एड. की कक्षाएँ भी संचालित हो चुकी हैं। शैक्षिक सत्र 2016-17 से परास्नातक स्तर पर एम. काम. एवं एम.ए. में शिक्षा शास्त्र की कक्षाएँ संचालित हो चुकी हैं।

महाविद्यालय भवन की प्राइम लोकेशन

कानपुर महानगर में स्थित सभी महाविद्यालयों की तुलना में महाविद्यालय का भवन सुसज्जित भवन कल्यानपुर मेट्रो स्टेशन (पिलर नं. 33) जी.टी. रोड के पास, प्रवेश व निकास द्वार के सामने तथा बिदूर चौराहा से 100 मी० व पनकी रोड क्रॉसिंग से 200 मी० की दूरी पर शान्त सुरम्य वातावरण में स्थित है। सर्व सुलभ सरलतम राजकीय बस सेवा महानगर सेवा, टैम्पो सेवा इत्यादि की यातायात सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

महाविद्यालय में पाठ्यविषय एवं उपलब्ध सीटें

स्नातक स्तर पर सत्र 2021-2022 से सेमेस्टर प्रणाली आरम्भ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा नयी शिक्षा नीति वर्ष 2020 लागू की गयी है। जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक, रोजगारपरक पाठ्यक्रम का समावेश विभिन्न स्तरों पर किया गया है। स्नातक स्तर पर विषय/प्रश्नपत्रों का चयन निम्नवत रहेगा। जिसमें तीन (03) मुख्य विषय, चतुर्थ (04) माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र/विषय, पंचम (05) स्किल डवलपमेंट (वोकेशनल कोर्स) प्रश्न पत्र/विषय, षष्ठम (06) कोकुलर कोर्स निर्धारित है।

स्नातक स्तर पर अंकतालिका व प्रमाण-पत्र निम्नवत रहेंगे-

प्रथम वर्ष में	सर्टीफिकेट इन बेचलर
द्वितीय वर्ष में	डिप्लोमा इन बेचलर
तृतीय वर्ष में	बेचलर इन फैकल्टी

इसी तरह से सत्र 2022-2023 परास्नातक पर अंकतालिका व प्रमाण पत्र निम्नवत रहेंगे-

परास्नातक स्तर प्रथम वर्ष	रिसर्च बेचलर इन फैकल्टी
द्वितीय वर्ष	मास्टर इन फैकल्टी

सेमेस्टर प्रणाली स्नातक व परास्नातक स्तर विषयों/प्रश्नपत्रों के चयन सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रवेश समिति, प्राचार्य से सम्पर्क करें।

विशेष: सत्र 2021-2022 के बाद सेमेस्टर पाठ्यक्रम लागू होने से पूर्व प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पुराने व नियम अनुसार अध्ययनरत रहेंगे।

आप अपना जो मूल्य आंकते हैं, सफलता उसी का साकार रूप है।

- वेस्टर फील्ड

स्नातक

कला संकाय (420 सीट)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय बी.ए. के विद्यार्थियों को निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन का चयन करना होगा।

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. समाज शास्त्र
4. अर्थशास्त्र
5. भूगोल
6. शिक्षा शास्त्र
7. राजनीति शास्त्र
8. पर्यावरण (प्रथम वर्ष में अनिवार्य)

विज्ञान संकाय (240 सीट)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा चयनित विषय बी.एस.सी के विद्यार्थियों को निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन का चयन करना होगा।

1. गणित
2. भौतिक विज्ञान
3. रसायन विज्ञान
4. जन्तु विज्ञान
5. वनस्पति विज्ञान
6. अर्थशास्त्र
7. पर्यावरण (प्रथम वर्ष में अनिवार्य)

बी.काम संकाय (180 सीट)

बी.कॉम. प्रथम वर्ष:- सेमेस्टर पाठ्यक्रम लागू होने के कारण विषय चयन हेतु प्रवेश समिति व प्राचार्य से सम्पर्क करें।

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष:-

1. कम्पनी लॉ
2. कास्ट एकाउन्टिंग
3. इन्कम टैक्स
4. गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स
5. प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेण्ट
6. इण्डस्ट्रियल लॉ

बी.कॉम. तृतीय वर्ष:-

1. आडिटिंग
2. मनी एण्ड फाइनेन्सियल सिस्टम
3. इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी
4. कारपोरेट एकाउन्टिंग

ग्रुप-1. 1. फाइनेन्सियल मैनेजमेण्ट 2. फाइनेन्सियल मार्केट ऑपरेशन

ग्रुप-2. 1. प्रिन्सिपल ऑफ मार्केटिंग 2. इन्टरनेशनल मार्केटिंग

बी.एड. संकाय (कुल 50 सीटें)

1. सभी अनिवार्य विषय
2. वैकल्पिक विषय

नोट : 1. वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क करें।

2. सत्र 2021-2023 से सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम लागू हो चुका है।

इससे पूर्व के सत्रों में पुराने पाठ्यक्रम अनुसार ही अध्ययन व परीक्षाएँ होंगी।

परा-स्नातक

एम.ए. शिक्षा शास्त्र (कुल 60 सीटें)

नोट : प्रश्न पत्रों की जानकारी के लिए प्राध्यापक/कार्यालय से सम्पर्क करें।

एम.काम. (कुल 60 सीटें)

नोट : प्रश्न पत्रों की जानकारी के लिए प्राध्यापक/कार्यालय से सम्पर्क करें।

जिसने गर्व किया उसका पतन अवश्य हुआ

- चेस्टीफील्ड

प्रवेश के सामान्य नियम

1. संस्थागत छात्र के रूप में किसी भी छात्र को महाविद्यालय से स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में तीन व दो वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
2. किसी भी अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज होंगे अथवा जो अपराधिक मामले में सजायापता है, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने या न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. उन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो पिछली परीक्षा में अनुचित साधन के दोषी पाए गए हैं।
5. ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें भूतपूर्व छात्र के रूप में उसी कक्षा में अध्ययन करना होगा।
6. महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना एवं पोस्टर लगाना वर्जित है। ऐसा करने वाले छात्रों को निष्कासित किया जा सकता है।

प्रवेश की शर्तें

1. बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. में प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
2. एम.ए./एम.काम. में प्रवेश उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा। जिन्होंने स्नातक में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।
3. प्रवेश में वरीयता उन विद्यार्थियों को दी जायेगी जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा 2020 तथा इण्टर की परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण की हो।
4. ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें भूतपूर्व छात्र के रूप में उसी कक्षा में अध्ययन करना होगा।
5. राज्य एवं राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रवेशार्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 2 प्रतिशत न्यूनतम अंको में छूट प्रदान की जायेगी।
6. महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना एवं पोस्टर लगाना वर्जित है। ऐसा करने वाले छात्रों को निष्कासित किया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
7. नकल में पकड़े गए छात्रों को अथवा महाविद्यालय में अनुशासनहीनता में दण्डित या जिनके विरुद्ध महाविद्यालय में तोड़-फोड़, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार करने की शिकायत है, ऐसे छात्रों को निष्कासित कर दिया जायेगा।

माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।

- वाल्मीकि

8. जिन छात्रों का सम्पूर्ण वर्ष (12 माह) का शुल्क जमा नहीं होगा उनकी सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी और उनका परीक्षाफल वि.वि. द्वारा घोषित नहीं किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व छात्र का स्वयं होगा।
9. शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किसी शुल्क की दरों में संशोधन किया जाता है तो छात्रों द्वारा संशोधित दरों से शुल्क देय होगा।
10. महाविद्यालय में किसी भी कक्षा हेतु एक बार जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा।

प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कार्यालय से विवरण पत्रिका व प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. विद्यार्थी आवेदन-पत्र भरने हेतु निम्नांकित बातों का ध्यान रखें:-
 - (क) फोटो यथास्थान चिपकायें।
 - (ख) हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
 - (ग) अन्तिम परीक्षा के अंक-पत्र एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
 - (घ) अन्तिम संस्था के प्रधान से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न करें।
 - (ङ) जाति एवं आय प्रमाण-पत्र ।
3. प्रवेश समिति सम्पूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार करके प्रवेश की संस्तुति करेगी। संस्तुति के आधार पर प्राचार्य प्रवेश का आदेश देंगे।
4. जिन छात्रों ने अपनी अन्तिम परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा कानपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से उत्तीर्ण की है, तो उन्हें प्रव्रजन-प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) भी संलग्न करना होगा।
5. विद्यार्थी जो भी प्रमाण-पत्र व उनकी सत्यापित प्रतिलिपियां जमा करेंगे, उनकी सत्यता का दायित्व स्वयं उनके ऊपर होगा।
6. प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त परिचय पत्र/कक्षा प्रवेश कार्ड के लिए पासपोर्ट आकार का अपना रंगीन फोटो भी मुख्य अनुशासनाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है - श्री राम शर्मा आचार्य

7. प्रवेश के उपरान्त शुल्क जमा रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा विद्यार्थी को कक्षा प्रवेश-कार्ड और परिचय पत्र भी प्राप्त होगा। जिसमें सेक्शन व पाठ्य विषयों की सूची होगी। परिचय पत्र निम्नलिखित लोगों को दिखाना चाहिए।
 - (अ) छात्रों को विषय चयन करने से पूर्व सम्बन्धित विषय प्राध्यापक छात्र/छात्रा की विषय सम्बन्धी जिज्ञासा एवं समस्या का समाधान किया जायेगा।
 - (ब) विभागाध्यक्ष या सम्बन्धित प्रवक्ता को जिससे विद्यार्थी का नाम विषय उपस्थित पंजिका में लिखा जा सके। विषय उपस्थित पंजिका में नाम लिखते समय विद्यार्थियों को परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है।
 - (स) पुस्तकालयाध्यक्ष को परिचय पत्र दिखाये ताकि विद्यार्थी को पुस्तकालय कार्ड दिया जा सके।
 - (द) प्रमुख अनुशासन अधिकारी को जिससे उनके हस्ताक्षर हो सकें।
 - (य) छात्र कल्याण परिषद के प्रमुख को जिससे विद्यार्थी के विषय में अन्य ज्ञातव्य बातें जानी जा सकें।
8. सभी विद्यार्थियों को कालेज कार्यालय से परिचय पत्र प्राप्त होने पर एक सप्ताह में सम्बन्धित अनुशासन अधिकारी के हस्ताक्षर करा लेना अनिवार्य होगा।
9. विश्वविद्यालय परीक्षा समाप्त होते ही द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों को प्रवेश प्रोविजनल रूप में लेकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। अतः छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अन्दर अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश ले लें।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है

1. यू0जी0सी0 के अधिनियम 2009 के अनुसार रैगिंग निषेध अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश संख्या 746-सत्तर- 1- 2009 के अनुसार रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाये जाने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

नामांकन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक नये विद्यार्थी को कानपुर विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र तथा इसके अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र भरने होंगे। नामांकन पत्र या परीक्षा आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा निश्चित की गई अन्तिम तिथि तक न भरने की स्थिति में उनके नाम कॉलेज से काट दिये जायेंगे।

आलस्य, दुर्बल मन वालों का एक मात्र शरण स्थल है और मूर्खों के लिये अवकाश दिवस - चेस्टरफील्ड

शिक्षा सत्र के मध्य में कॉलेज छोड़ना

यदि कोई छात्र/छात्रा शिक्षा सत्र के मध्य में कॉलेज छोड़ता है और दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तो वह-

(क) कॉलेज छोड़ने के आशय का ज्ञापन (प्रार्थना पत्र) प्राचार्य को देगा।

(ख) समुचित कारण से प्राचार्य द्वारा मुक्त नहीं कर दिया जाता है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार अतिरिक्त 300/- रु. की धनराशि का भुगतान करेगा।

महाविद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाएं

1. विद्यार्थियों के शिक्षा सत्र के मध्य मासिक अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रशंसनीय परीक्षा फल दिखलाने पर शुल्क में अधिकतम पांच (05) प्रतिशत छूट की व्यवस्था।
2. (अ) योग्य विद्यार्थियों की सूची में पूरी, आंशिक छूट की व्यवस्था।
(ब) प्रथम श्रेणी वाले तथा अन्य सुयोग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों, अनुसूचित जनजाति को शुल्क में विशेष छूट देने की व्यवस्था।
3. जनजाति परिगणित एवं पिछड़ी जाति को छात्रवृत्तियां।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।
5. पुस्तकीय सहायता विश्वविद्यालय द्वारा।
6. योग्यता छात्रवृत्तियां।
7. विकलांगता छात्रवृत्तियां।

निर्धनता तथा योग्यता दोनों के आधार पर विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है किन्तु यह सुविधा अनुशासन भंग करने, उपस्थिति में अनियमितता बरतने वाले अथवा अध्ययन काल में असंतोषजनक प्रगति दिखलाने पर वापस ले ली जाती है।

विद्यार्थी सहायता कोष

विद्यार्थी सहायता शुल्क 5/- रु. प्रतिवर्ष विद्यार्थी वर्ग से एकत्र किया जायेगा विद्यार्थी सहायता समिति योग्य एवं निर्धन विद्यार्थियों को आर्थिक संस्तुति, पुस्तक धन अथवा परीक्षा शुल्क देने के लिए प्राचार्य से संस्तुति करती है। प्राचार्य इस पर अपनी स्वीकृति देते हैं।

देश के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ केवल सत्य अहिंसा को छोड़कर। - गाँधी जी

सांस्कृतिक गतिविधियां

महाविद्यालय में व्यक्तित्व निर्माण के लिए वर्ष पर्यन्त सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का पूरा अवसर दिया जाता है। नाटक, एकांकी, कविता एवं अन्य ललित विधाओं में विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि उत्पन्न करना सांस्कृतिक गतिविधियों का उद्देश्य है। प्रवेश के उपरान्त इच्छुक छात्र-छात्रायें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी से सम्पर्क करें।

छात्र कल्याण परिषद

महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग में एक प्राध्यापक छात्र कल्याण परिषद के निर्देशन का कार्य करते हैं। यह विद्यार्थियों की कठिनाइयों में उनकी सहायता तथा मार्गदर्शन करते हैं। प्राध्यापक मण्डल तथा विद्यार्थी वर्ग को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाने का वह प्रयत्न करते हैं।

विषय परिषद

छात्र-छात्राओं की रचनाओं की प्रतिभा को जाग्रत करने हेतु इस सत्र में सभी विषयों में पृथक-पृथक परिषदों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक विषय परिषद में उस विषय का एक प्राध्यापक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु निदेशक का कार्य करेगा। शेष पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री एवं कोषाध्यक्ष की पूर्ति विद्यार्थियों से की जायेगी। इन परिषदों द्वारा वर्ष पर्यन्त सामाजिक, सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को भाग लेने का अधिकार होगा। वर्ष के अन्त में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रायें सम्बन्धित विषय प्राध्यापक या विषय परिषद संयोजक से सम्पर्क करें।

वार्षिकोत्सव

प्रतिवर्ष दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है। लगभग तीन दिनों तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है। समापन के अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।

आप खुद को बदलाव बनिये, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

- गाँधी जी

अनुशासन व्यवस्था

विद्यार्थी राष्ट्र का भावी नागरिक है। सबल विद्यार्थी सबल राष्ट्र का निर्माण करता है अतः विद्यार्थियों के संयमित जीवन एवं सर्वांगीण विकास के महती उद्देश्य से इस महाविद्यालय में भी अनुशासन समिति का निर्माण किया जाता है।

अनुशासन समिति के गठन में अध्यापकों व विद्यार्थियों का यथावत योगदान रहता है। उपस्थिति की अनियमितता, कक्षा में की गयी अवज्ञा, अध्ययन कार्य की उपेक्षा, महाविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करना या भवन को क्षति पहुंचाना, अभद्र व्यवहार, धूम्रपान व अनुचित कार्यों जिससे महाविद्यालय का वातावरण दूषित होता है, को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों का निलम्बन भी किया जा सकता है।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के चरित्र का लेखा जोखा रखा जाता है। जिसमें उनके व्यवहार व आचरण का ब्यौरा होता है और उसके अनुसार उन्हें स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र-प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं। महाविद्यालय के भावी सत्र में विद्यार्थियों का प्रवेश इसी आधार पर विचार योग्य होता है।

महाविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन होता है।

परिचय पत्र

समस्त विद्यार्थी प्रवेश के समय अपना रंगीन फोटो पासपोर्ट आकार में प्रस्तुत करेंगे तब कार्यालय से परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा जिसे वे एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करके हस्ताक्षर के लिए सम्बन्धित संकाय के प्रमुख एवं अनुशासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने परिचय पत्र सदैव पास रखें अन्यथा वे दण्ड के पात्र भी हो सकते हैं।

सेमिनार/संगोष्ठी

महाविद्यालय में प्रति वर्ष सेमिनार/शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन होता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें भी शैक्षिक गोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहता है। इस प्रकार के आयोजन शिक्षकों, विद्यार्थियों, नागरिकों, प्रबंधकों व प्रशासकों तथा एन जी.ओ. के लिये आदर्श पथ-प्रदर्शक होते हैं।

ज्ञान की ज्योति से, मानव मन के, अन्धकार को दूर किया जा सकता है। - राम मोहन राय

उपस्थिति

किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा तभी दी जाती है जबकि उसकी उपस्थिति प्रत्येक विषय में दिये गये समस्त प्रथक अभिभाषणों में 75 प्रतिशत है। कम उपस्थिति होने पर किसी भी दशा में विचार न किया जायेगा। इस आशय का एक अनुबन्ध-पत्र भी प्रत्येक छात्र/छात्रा को भरना होगा।

उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारम्भ से की जाती है अतः विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र इस दिशा की ओर सचेत रहे।

कालेज गृह परीक्षा

महाविद्यालय में कक्षाओं के स्तर को उच्च बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इन परीक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है।

किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त परीक्षा में सम्मिलित न होने की स्थिति में छात्र को बाद में आयोजित पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, यदि कोई विद्यार्थी उक्त परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा तथा वह कालेज में भविष्य में प्रवेश भी न पा सकेगा।

क्रीड़ा

महाविद्यालय विश्वविद्यालय क्रीड़ा समिति से सम्बद्ध है। खेलकूद व्यायाम महाविद्यालय के महत्वपूर्ण अंग है। खेलकूद की व्यवस्था महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति की देखरेख में सम्पन्न होती है। महाविद्यालय में सभी क्रीड़ाओं के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है तथा महाविद्यालय के पास भव्य क्रीड़ा स्थल है।

अभ्युदय

महाविद्यालय में पत्रिका 'अभ्युदय' का प्रकाशन होता है। जिसमें मौलिक व स्तरीय रचनाओं के साथ महाविद्यालय के वर्ष भर के कार्यकलापों का लेखा-जोखा रहेगा। पत्रिका का प्रकाशन दिसम्बर के अन्त तक किया जायेगा।

जो गिरना नहीं चाहता, उसे कोई गिरा नहीं सकता

- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का आरम्भ किया गया है। साक्षात्कार के उपरान्त योग्य छात्र-छात्रा को सदस्यता प्रदान की जाती है। छात्र-छात्राओं में सेवा, मानवीय गुणों एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जगाया जाता है।

रोजगार (सर्विस-जॉब) व प्रवेश परीक्षाओं में वेटेज अंक मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा संचालित डिप्लोमा व डिग्री के विभिन्न पाठ्यक्रमों का पठन-पाठन सत्र 2022-2023 से आरम्भ प्रस्तावित है।

स्काउट गाइड कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश स्काउट एण्ड गाइड कार्यक्रम जिला इकाई द्वारा सत्र 2022-2023 से प्रस्तावित है। रोजगार (सर्विस-जॉब) में वेटेज अंक मिलते हैं।

एन०सी०सी०

राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा सत्र 2022-2023 से महाविद्यालय में प्रशिक्षण आरम्भ प्रस्तावित है। रोजगार (सर्विस-जॉब) में वेटेज अंक मिलते हैं।

प्लेसमेन्ट सेल

फरवरी 2022 में प्लेसमेन्ट सेल का गठन किया गया है जिसमें इसी वर्ष 16 (सोलह) छात्रों/छात्राओं का चयन अमेजन डिजिटल इण्डिया प्लेट फार्म के लिए किया जा चुका है। जिसमें उन्हें 1.80 से 2.40 लाख प्रति वर्ष मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष कम से कम 200 छात्रों/छात्राओं के चयन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें हेतु विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनियों से प्रबन्ध तन्त्र लगातार सम्पर्क में बना हुआ है जिसके फलस्वरूप छात्रों/छात्राओं को रोजगार प्राप्त हो सके।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में समस्त विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों का पर्याप्त भण्डार है। इसके अतिरिक्त प्राचीन वेद, उपनिषदों से सम्बन्धित ग्रन्थों, उपन्यासों, पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था है। पुस्तकालय का सामान्य विभाग से प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार में एक सप्ताह के लिए 2 पुस्तकें प्रदान की जाती है। निकट भविष्य में महाविद्यालय डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रयासरत है।

शासन विश्वविद्यालय के निर्देशों के तहत स्नातक स्तर पर

कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा सचिव के परिपत्र दिनांक 28 जून 2008 तथा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आदेश संख्या - डिग्री विकास/1741-2591/2001-02 दिनांक 01 जून 2001 के अनुपालन में शिक्षा सत्र 2001-2002 से स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं के निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम शुल्क पर स्व-वित्त पोषित आधार पर संचालित किया जायेगा।

अतः छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम शुल्क पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा का अवश्य लाभ उठावें।

ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता

- जयशंकर प्रसाद

नियम:

1. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एक वर्ष का है।
2. पाठ्यक्रम का शुल्क महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि को दो किस्तों में ली जायेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम/एम. ए/एम. काम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए शासन द्वारा अनिवार्य करने की अपेक्षा की गयी है।
4. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अलग से शुल्क वाउचर निर्धारित है तथा निर्धारित शुल्क जमा की रसीद प्रस्तुत करने पर छात्र को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।
5. बी.ए/बी.एस.सी./बी.काम/एम. ए/एम. काम द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
6. उक्त पाठ्यक्रम की कक्षाएँ एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेन्सी से प्रदान किया जायेगा। शुल्क जमा करने के उपरान्त छात्र को अनुमति पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसके आधार पर संबंधित एजेन्सी द्वारा छात्र को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रवेशार्थी के माता-पिता व अभिभावकों से अनुरोध

आप इससे सहमत होंगे कि हमारा और आपका उद्देश्य यह है कि आपके पुत्र/पुत्री अथवा संरक्षित छात्र/छात्रा को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो परन्तु यह महान कार्य आपके सहयोग के अभाव में सम्भव नहीं हो सकेगा। वास्तव में विद्यार्थी की शिक्षा तो उसके घर से प्रारम्भ होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही आप अपने पाल्य को इस कॉलेज में भेज रहे हैं कभी-कभी इस तथ्य की अवहेलना कर दी जाती है। परिणामस्वरूप घर के वातावरण में व्याप्त अपने प्रति उदासीन तथा कॉलेज के प्रति आत्मीयता के अभाव के कारण विद्यार्थी अनुशासनहीनता प्रारम्भ कर देता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप छात्र के हित चिन्तन व उन्नयन के प्रति जागरूक रहकर हमें सहयोग देने की कृपा करें। जिससे हम आपके छात्र को एक सक्षम स्वस्थ एवं उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता कर सकें।

प्राचार्य



प्रसन्न रहने के दो उपाय हैं - आवश्यकतायें कम और परिस्थितियों से तालमेल - श्री राम शर्मा 'आचार्य'



प्रिय शिक्षार्थी,

शिक्षण मानव विकास के सन्दर्भ में एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जो मूल रूप से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अपने में समाहित किये हुये है। जीवन को समुन्नत बनाने के लिए बुद्धि के विवेकशील उपयोग के साथ ही अर्थोपार्जन भी एक व्यापक आवश्यकता के रूप में समाहित है। जीवन को समुन्नत बनाने से सम्बन्धित विकास आध्यात्मिक अथवा भौतिक शैक्षिक प्रक्रिया की शरण में फलता फूलता है।

मानव बिना शिक्षा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आध्यात्मिक विकास एवं चिन्तन के साथ ही उसके उपगुण एकाग्रता में निहित होते हैं। विचारों के सागर में प्रकट 'चिन्तन' मानव का एक विशिष्ट गुण है जो किसी समस्या के समाधान के लिए किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर समग्र सार्थक प्रयास करता है। जबकि भौतिक विकास उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर है। परन्तु इन दोनों (आध्यात्मिक एवं भौतिक) प्रकारों के विकास का आधार शिक्षा ही है।

यहां पर विकास में चिन्तन का मूल साधन 'शिक्षा' है। प्रथम तथा उपयोगिता के रूप में शिक्षा आध्यात्मिक विकास में चिन्तन जैसे सर्वोच्च मानवीय गुण को उत्पन्न करने एवं विचार करने की एक श्रृंखलाबद्ध मानसिक प्रक्रिया के रूप विकसित करने के अपने आदर्श स्वरूप के दर्शन कराती है। वहीं दूसरे शब्दों में शिक्षा भौतिक विकास से सन्दर्भित उपयोगिता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों से दोहन के सही और उन्नतिशील तौर तरीकों को सिखाते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास के एक मात्र घटक के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित करती है।

स्व० धनीराम वर्मा

संस्थापक/संरक्षक

पूर्व अध्यक्ष विधान सभा उ.प्र.

पूर्व नेता विरोधी दल विधान सभा उ.प्र.



संदेश

‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’

अर्थात् ज्ञान से बढ़कर और पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। शिक्षा व ज्ञान एक दूसरे के पर्याय हैं और शिक्षा ही विकास का साधन है शिक्षा के द्वारा मानव के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाये जा सकते हैं। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण जीवन काल तक अबाध गति से चलती रहती है जिसमें निजी प्रेरणा, क्रियात्मकता और अनुभूतियों का महत्व है और स्वप्रयास से इसका अर्जन किया जाता है शिक्षा स्वयं एक मूल्य है और अन्य मूल्यों की अनुसंधान स्थली भी है। वास्तव में “शिक्षा ही जीवन है” शिक्षा और शिक्षण का लक्ष्य बालक का बहुमुखी विकास करना है जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष शामिल है।

प्रत्येक मानव को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान युग भौतिक वादी युग है इसलिए शिक्षा भौतिकवादी आवश्यकताओं का साधन बन गई है। मैं अपने शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक राजनीतिक और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर मानता हूँ कि शिक्षा द्वारा ही श्रेष्ठ मानव समाज में एक उन्नत राष्ट्र एवं समृद्ध शान्तिमय विश्व की कल्पना निहित है।

क्योंकि शिक्षा कल्पना को जन्म देती है कल्पना विचारों को और विचार ही व्यक्ति को पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर अग्रसर करती है।

स्व. डॉ. महेश चन्द्र वर्मा

पूर्व विधायक मिथुना
औरिया